

दिनांक 25/5/2022

25/5/22 फ़ावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप० नहीं।  
वकील अपीलान्ट को रुक-रुक कर बार-बार  
आवाजे लगाई गई लेकिन वह उप० नहीं आए  
अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजिरी अदम  
पैरवी में खारिज की जायी है। आदेशिका  
की प्रति के साथ अधीवरुध न्यायालय का  
रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। फ़ावली  
निर्णित दक्षित कर नम्बर से कम की  
जाकर बादतकमिल जिला अभिलेखागार  
में जमा करवाई जावे। आदेश सुनाया  
गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकर्ता)  
श्रीगंगानगर



Handwritten signature or mark.